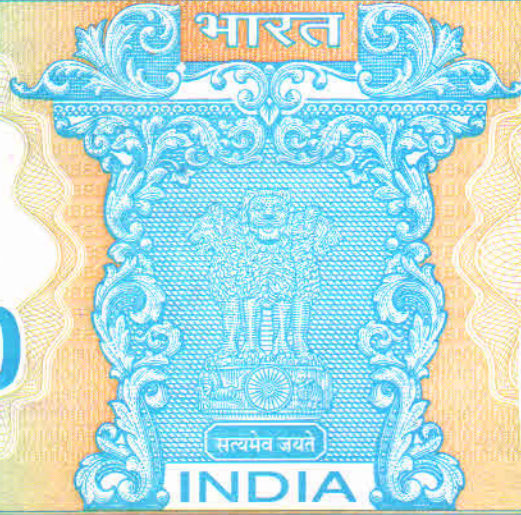


भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

98 JUN 2015 RAJASTHAN

89AA 154090

1. द. स. व. दिनांक..... 2056/14.5.13
2. प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक..... 0.2.16
3. प्रतिलिपि तैयार होने की दिनांक..... 0.2.16
4. प्रतिलिपि देने की दिनांक..... 0.2.16
5. फीस का विलक्षण मय दिनांक..... 518
6. प्रतिलिपि तैयार करने वाले के $\frac{518}{0.2.16} = 200$
- हस्ताक्षर.....

उप-पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
खानाचामण्ड (लीकर)

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांक:-एफ.16 (2) भूरू./ग्रामीण/राजस्व/13/

दिनांक : 20/5/13

संपरिवर्तन आदेश

सरस्वती शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, खुड़ के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 एवं राजस्व विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 6(6) राज-6/92 पार्ट/8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	सरस्वती शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, खुड़ तहसील दांतरामगढ़ जिला सीकर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	-
3.	(क) संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा (ख) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम खुड़ ग्राम पंचायत खुड़ तहसील दांतरामगढ़
	(ग) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ख0नं0 865/2 रकबा 0.47 है0
	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	ख0नं0 865/2 रकबा 0.47 है0 में से 0.40 है0 अर्थात 4000 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	-
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	6.50 रु0 प्रति व0मी0
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चालान नं. 1130 दिनांक 28.3.2013 राशि रुपये 26000/- रु.
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	शून्य
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए।

2

(दैनिकी) उप पंजीयक
पंजीयन एवं प्लान
दांतरामगढ़ (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
दांतरामगढ़ (सीकर)

(2)

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा :-

1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
2. निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराया जा सकेगा। व पूर्व निर्माण निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जावे।
3. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6(6).राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
4. भूखण्ड में 40 प्रतिशत भाग अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु खुला रखना होगा।
5. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समहृत हो जायेगा।
6. उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 द्वारा घोषित हरित राजस्थान अभियान के तहत संस्थान कैम्पस में पेड़ लगाने होंगे।
9. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढाचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाएगा।

(धर्मेन्द्र भटनागर)
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर)

क्रमांक:-एफ.16 (3)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/13/4374-82 दिनांक:- 14-5-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्टर, सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
5. तहसीलदार, दांतारामगढ़
6. सरपंच, ग्राम पंचायत, खुड, पंचायत समिति, दांतारामगढ़ जिला सीकर
7. सरस्वती शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, खुड तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर
8. रक्षित पत्रावली।

(धर्मेन्द्र भटनागर)
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर)

क्रमांक: 14 माह 5 तह 12013
जिला सीकर सं. 394
कम सं. 2056 वर वजीर
कम सं. 7
1769 पुष्प सं. 89493
पंचायत समिति
दांतारामगढ़ (सीकर)

स्थापित प्रतिलिपि
उप पंचायत
दांतारामगढ़ (सीकर)

दिनांक:-03-01-2013

संपरिवर्तन आदेश

वर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :-
 आवेदक/खातेदार अभिधारी का नाम सरस्वती शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, खूड
 पिता/पति के नाम सहित पूरा पता जरिये अध्यक्ष श्री सांवताराम पुत्र भोलूराम
 जाति जाट निवासी लालास व सचिव देवेन्द्र
 कुमार पुत्र लक्ष्मण राम जाति जाट निवासी
 खूड तहसील दांतरामगढ जिला सीकर राज.

ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम खूड तह. दांतरासगढ़ जिला सोकर.
ख. भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर)	ख.न. 865 रकबा 0.67 हे.
संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर)	ख.न. रकबा खुले क्षेत्र कुल

ख.न.	रकबा	खुले क्षेत्र के रूप में रखने के लिये क्षेत्र (व.मीटर)	कुल संपरिवर्ति त क्षेत्र भूमि (व.मीटर)
865	0.67	0	2000
Total	0.67	0	2000

संपरिवर्तित भाग को संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है जो संपरिवर्तन का भाग है।

सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (ईकाई)
6.50-रूपये प्रति वर्गमीटर

6.50-रुपये प्रति वर्गमीटर
चा.सं. 576 दिनांक 02.01.2013 से रुपये
13000-

13000-

आवेदक संपरिवर्तित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की व्यवस्था स्वयं अपने स्तर पर करेंगे ।



उप पंजियक

जीवादायण (सीलन)

उपखण्ड अधिकारी
वांताशानगर

.....2.....
(महावीर प्रसाद खत्री)
उप पंजीयक
पंजीयन एवं प्रकाशन

11 उपखण्ड संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- 1 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के स्तर से ऊँचे स्थानों में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2 सड़कें ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ होगा।
- 3 यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 4 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24-02-05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर, dt. 20-11-04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
- 5 The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- 6 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
- 7 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
- 8 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 2 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- 9 मुख्यमंत्री हरित राजस्थान योजना के तहत पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रस्तावित खाली भूमि पर पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य होगा।
- 10 राज्य सरकार के निर्देशानुसार भविष्य के लिए जल संचय हेतु भवन निर्माण के समय वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)

दिनांक:-03-01-2013

क्रमांक/भूमि रूपा./2012/राजस्व/ 37-41

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार, दांतारामगढ़।
- 3 ग्राम पंचायत खूड।
- 4 पटवारी हल्का खूड तह. दांतारामगढ़।
- 5 सरस्वती शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, खूड जरिये अध्यक्ष श्री सांवताराम पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी लालास व सचिव देवेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण राम जाति जाट निवासी खूड तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.
- 6 रक्षी पत्रावली

दिनांक 03-01-2013
को पुरतक सं. 374.
नं. पुंठ सं. 89
दिनांक 03-01-2013
क्रमांक 374
क्रमांक 374
क्रमांक 374

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

निर्माणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक
दांतारामगढ़ (सीकर)

आज दिनांक 4 माह January सन् 2013 को 11:49 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री S.S.AND P.S. JARIY SANWTARAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHOLU RAM
उम्र 0 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय _____
निवासी LALAS
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2013000104)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, DANTA RAMGARH

(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं० 2013000081 दिनांक 04/01/2013
पंजीयन शुल्क रु० 520/-
प्रतिलिपि शुल्क रु० 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रु० 0/-
अन्य शुल्क रु० 260/-
कमी स्टाम्प शुल्क रु० 2600/-
कुल योग रु० 3680/-

(2013000104) उप पंजीयक, DANTA RAMGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

पंजीयन एवं मुद्रांक
दन्तारामगढ़ (सीकर)

धारा 64 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की माहियत रुपये 52000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 2000 पर कमी पंजीयन शुल्क
रुपये 20 कुल रुपये 3680
जरिये रसीद संख्या 2013000081 दिनांक 04/01/2013
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रुपये 2600
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013000104) उप पंजीयक, DANTA RAMGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

पंजीयन एवं मुद्रांक
दन्तारामगढ़ (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक
दन्तारामगढ़ (सीकर)

हस्ताक्षर

फोटो

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
 1-S.S.AND P.S. JARIY SANWTARAM/BHOLU RAM
 Age:0, Caste-JAT
 Ocu.-
 R/O-LALAS

2-DEVENDRA KUMAR/LAXMAN RAM
 Age:0, Caste-JAT
 Ocu.-
 R/O-KHOOR

(And Claimant)
 1-S. D. M. DANTARAMGARH /NA
 Age:0, Caste-
 Ocu.-
 R/O-DANTARAMGARH

ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)
 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
 प्रतिफल राशी रू0 52000/- पूर्व में/मेरे
 समक्ष/मे से रू0 52000/-पूर्व में
 यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

(पंजीयक प्रसाद खीर)
 उप पंजीयक
 पंजीयन एवं मुद्रांक
 दंतारामगढ़ (सीकर)

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
 1. श्री/श्रीमती/सुश्री RAGHUVeer
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NOPA RAM उम्र 25 वर्ष
 जाति JAT व्यवसाय AGRI
 निवासी MANDAVRA

2. श्री/श्रीमती/सुश्री PUSA RAM
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HANMAN RAM उम्र 77 वर्ष
 जाति JAT व्यवसाय AGRI
 निवासी MANGRASI ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2013000104) उप पंजीयक, DANTA RAMGARH
 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

आज दिनांक 04/01/2013 को
 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 384
 में पृष्ठ संख्या 89 क्रम संख्या 2013000082 पर
 पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1729
 के पृष्ठ संख्या 256 से 260 पर
 चस्पा किया गया।

(2013000104) उप पंजीयक, DANTA RAMGARH
 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

वैधानिक प्रतिलिपि

उप पंजीयक
 दंतारामगढ़ (सीकर)

मैं गोवि

निवासी केला
 कृषि ऋण प
 अधोनिर्दिष्ट
 के लिए तथा
 हित बैंक के

गांव का

कैल

उपरोक्त

गवाह
 निम्नलिखित

1 2
 2 2

सम्मान स

सम्मान